रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082024-256731
CG-DL-E-29082024-256731

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 480]	नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2024/ भाद्र 6, 1946
No. 480]	NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2024/ BHADRA 6, 1946

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 519(अ.).—निम्नलिखित मसौदा नियम जिसे केंद्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (न) के साथ पठित धारा 20 की उप-धारा 2 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराई जाती हैं;

यदि कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो, तो उसे संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है;

केंद्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्ति अथवा सुझाव पर विचार किया जाएगा।

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और व्यावृत्ति —

(1) इन नियमों को दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन नियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम भारतीय तार अधिनियम, 1885 का अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (लोक आपातकाल या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 और दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन (संशोधन) नियम, 2020 का अधिक्रमण करेंगे, परंतु ये नियम उन नियमों के अंतर्गत निलंबन से संबंधित मौजूदा आदेशों की निबंधन और शर्तों को अधिभूत नहीं करेंगे जो ऐसे आदेश में यथा विनिर्दिष्ट निलंबन की समय अवधि समाप्त होने की तिथि तक जारी रहेंगे।

2. परिभाषाएं —

(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) **"अधिनियम"** से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;

(ख) **"सक्षम प्राधिकारी"** से केंद्रीय सरकार के मामले में गृह मंत्रालय में केन्द्रीय गृह सचिव, अथवा राज्य सरकार के मामले में राज्य सरकार के गृह विभाग के प्रभारी सचिव अभिप्रेत है;

(ग) **"नोडल अधिकारी"** से इन नियमों के प्रयोजन के लिए किसी प्राधिकृत संस्था द्वारा अभिनामित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) **"समीक्षा समिति"** से इन नियमों के नियम 5 के अंतर्गत गठित की गई समिति अभिप्रेत है;

(ङ) **"नियम"** से दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन नियम, 2024 अभिप्रेत है; और

(च) **"निलंबन आदेश"** से इन नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दूरसंचार सेवा अथवा दूरसंचार सेवाओं की किसी श्रेणी के अस्थायी निलंबन के लिए आदेश अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों जिनका उपयोग इन नियमों में किया गया है और जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होगें जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किया गया है।

3. दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन

(1) धारा 20 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन किसी दूरसंचार सेवा अथवा दूरसंचार सेवाओं की किसी श्रेणी को निलंबित करने के निदेश केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित निलंबन आदेश द्वारा जारी किए जाएंगे:

बशर्ते कि जब अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबन आदेश जारी करना व्यवहार्य नहीं है, वहां ऐसा निलंबन आदेश केंद्रीय सरकार के संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत किया गया हो:

बशर्ते कि उप-नियम (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन जारी किया गया निलंबन आदेश ऐसा आदेश जारी होने के चौबीस (24) घंटे के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि के अधीन होगा अन्यथा यह निलंबन आदेश समाप्त हो जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत जारी किया गया कोई भी निलंबन आदेश प्रकाशित किया जाएगा, और:

(क) इसमें ऐसे आदेश के कारणों को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा; और

(ख) यह आदेश निम्नलिखित तक सीमित होगा: (i) ऐसा आदेश जारी करने के लिए विशिष्ट कारणों का उल्लेख; (ii) स्पष्ट रूप से परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र; और (iii) निर्दिष्ट अवधि, जो पंद्रह (15) कैलेंडर दिन से अधिक नहीं होगी।

(3) उप-नियम (1) के अंतर्गत जारी निलंबन आदेश की प्रति ऐसा आदेश जारी होने के चौबीस (24) घंटे की अवधि के भीतर संबंधित समीक्षा समिति को भेजी जाएगी।

4. नोडल अधिकारियों का पदनाम एवं कर्तव्य

(1) प्रत्येक प्राधिकृत संस्था निलंबन आदेश प्राप्त करने और उसे कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक सेवा क्षेत्र, अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी को अभिनामित करेगी।

(2) किसी भी निलंबन आदेश का कम से कम पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा नोडल अधिकारी को लिखित में अथवा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

5. समीक्षा समिति का गठन और कार्य-प्रणाली

(1) केन्द्रीय सरकार समीक्षा समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

(क) मंत्रिमंडल सचिव - अध्यक्ष;

(ख) केन्द्रीय सरकार के प्रभारी सचिव, विधिक कार्य - सदस्य; तथा

(ग) सचिव, केन्द्रीय सरकार, दूरसंचार विभाग - सदस्य।

(2) प्रत्येक राज्य सरकार समीक्षा समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

(क) राज्य के मुख्य सचिव -अध्यक्ष;

(ख) सचिव विधि अथवा प्रभारी लीगल रेमेंमबरेंस, विधिक कार्य- -सदस्य; तथा

(ग) गृह सचिव के अलावा राज्य सरकार के सचिव -सदस्य।

(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के तहत गठित संबंधित समीक्षा समिति किसी भी निलंबन आदेश जारी होने के पांच (5) कैलेंडर दिनों की अवधि के भीतर बैठक आयोजित करेगी और इस संबंध में अपने निष्कर्षों को दर्ज करेगी कि क्या निलंबन आदेश अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अनुपालन में है अथवा नहीं। यदि समीक्षा समिति की राय है कि यह निलंबन आदेश अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के खंड (ख) का अनुपालन नहीं करता है वह ऐसे आदेश को खारिज कर सकती है।

[फा. सं 24-05/2024-यूबीबी]

देवेंद्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2024

G.S.R. 519(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred under clause (b) to sub-section 2 of section 20, read with clause (t) to sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi - 110001;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.

1. Short title, commencement and savings

(1) These rules may be called the Temporary Suspension of Telecommunication Services Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall be in supersession of the Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules, 2017 and Temporary Suspension of Telecom Services (Amendment) Rules, 2020 under Indian Telegraph Act, 1885, but shall not override the terms and conditions of existing orders relating to suspensions under those rules, which shall continue to apply till the date of expiry of the time period for suspension as specified in such order.

2. Definitions

(1) In these rules, unless the context otherwise requires:

(a) "**Act**" means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);

(b) "**competent authority**" means the Union Home Secretary in the Ministry of Home Affairs in the case of the Central Government, or the Secretary to the State Government in-charge of the Home Department in the case of a State Government;

(c) "**nodal officer**" means any officer designated by an authorised entity for the purpose of these rules;

(d) "**review committee"** means the committee constituted under rule 5 of these rules;

(e) "**rules**" means the Temporary Suspension of Telecommunication Services Rules, 2024; and

(f) "**suspension order**" means an order for temporary suspension of telecommunication service or any class of telecommunication services, issued by the competent authority under sub-rule (1) of rule 3 of these rules.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act.

3. Temporary suspension of telecommunication services

(1) The directions to suspend any telecommunication service or any class of telecommunication services under clause (b) of sub-section (2) of section 20, shall only be issued by a suspension order in writing, by a competent authority:

Provided that, where, due to unavoidable circumstances, it is not feasible for a suspension order to be issued by the competent authority, such suspension order may be issued by an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Central Government, who has been duly authorised by the competent authority:

Provided further, that a suspension order issued under the first proviso to sub-rule (1) shall be subject to its confirmation by the competent authority, within twenty-four (24) hours of issuance of such order, failing which the suspension order shall cease to exist.

(2) Any suspension order issued under sub-rule (1) shall be published, and:

(a) clearly state the reasons for such order; and

(b) be limited to: (i) addressing the specific reasons for such order; (ii) clearly defined geographical area/s; and (iii) a specified duration, not exceeding fifteen (15) calendar days.

(3) A copy of the suspension order issued under sub-rule (1) shall be forwarded to the concerned review committee within a period of twenty-four (24) hours from the issuance of such order.

4. Designation and duties of nodal officers

(1) Each authorised entity shall designate a nodal officer for every service area, or state or union territory, to receive and implement the suspension order.

(2) Any suspension order shall be communicated in writing or through a secure electronic communication, to the nodal officer, by an officer not below the rank of Superintendent of Police.

5. Constitution and working of the review committee

(1) The Central Government shall constitute a review committee, consisting of the following members:

(a) Cabinet Secretary -Chairman;

(b) Secretary to the Central Government In-charge, Legal Affairs - Member; and

(c) Secretary to the Central Government, Department of Telecommunications -Member.

(2) The Government of each State shall constitute a review committee, consisting of the following members:

(a) Chief Secretary of the State -Chairman;

(b) Secretary Law or Legal Remembrancer In-Charge, Legal Affairs -Member; and

(c) Secretary to the State Government, other than the Home Secretary -Member.

(3) The concerned review committee constituted under sub-rule (1) and sub-rule (2) shall meet within five (5) calendar days of issuance of any suspension order, and record its findings as regards whether the suspension order is in adherence with clause (b) to sub-section (2) of section 20 of the Act. Where the review committee is of the opinion that the suspension order is not in adherence with clause (b) to sub-section (2) of section 20 of the Act, it may set aside such order.

[F.No.24-05/2024-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.08.29 19:28:30 +05'30'